

अध्याय-33

सरकारी भूमि का अनाधिकृत कब्जा अथवा अतिक्रमण

पचास के दशक में भूमि और विकास कार्यालय व अन्य अभिकरणों, जैसे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम इत्यादि के नियंत्रण की सरकारी भूमि पर वृहद तौर पर अनधिकृत कब्जे हुए। सरकार ने इस कार्यालय के नियंत्रणाधीन भूमि से अतिक्रमण को हटाना सुनिश्चित करने के संबंध में भूमि और विकास कार्यालय को निम्नलिखित अनुदेश जारी किए हैं:-

- (i) किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक भूमि को पक्की संरचना अथवा घेरे अथवा कांटेदार तार की बाड़ द्वारा संलग्न करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - (ii) बाउंड्री की दीवार के आसपास बड़े हुए घरों से कोई भी आपत्ति नहीं होगी बशर्ते यह बाउंड्री से सटी हुई नहीं हो।
 - (iii) भूखंड धारक, जिन्होंने अपने भूखंड की सीमा को चिन्हित करने हेतु चारदीवारी खड़ी नहीं की हो, उन्हें स्थानीय निकायों की नियोजन प्रणाली के अनुसार चारदीवारी खड़ी करने हेतु नोटिस जारी किया जाएगा। मंजूर की गई योजना में कोई भी अतिरिक्त छोटे फाटक की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - (iv) स्थानीय निकाय एवं सरकार हमेशा इस बात का स्वागत करेगी कि भूखंड धारक सटे हुए रिक्त खुले स्थानों में किसी भी तौर पर हरी घास या फूलों के पौधे लगाएं। इस उद्देश्य हेतु इसे पट्टे पर देना उचित नहीं होगा लेकिन यदि निगम अस्थायी तौर पर घास के लॉन तथा बिना घेरे अथवा बाड़े अथवा कांटेदार घेरे के फूलों के पौधे लगाने हेतु पट्टे देने हेतु अनुज्ञा पर जोर देता है, तो इस पर कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
2. सरकारी कॉलोनियों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण:

सरकारी कॉलोनियों में भूमि पर अतिक्रमण का निम्नानुसार निबटान जाएगा:-

- (i) संपदा निदेशालय सरकारी कर्मचारियों को आवंटित मकान और फ्लैटों से संबंधित भूमि के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होगा। पर कुक्कुट पालन अथवा सब्जियों या फूल उगाने इत्यादि हेतु भूमि के उपयोग हेतु कोई भी आपत्ति नहीं

होगी बशर्ते कि आवंटी द्वारा इस प्रकार का अभ्यास अन्य रिहायशी पड़ोसियों के लिए परेशानी का कारण नहीं बने।

(ii) सरकारी कॉलोनियों में सभी रिक्त खुली भूमि निदेशक उद्यानिकी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रभार के अधीन होंगे, जो खुले स्थानों में इन लॉन्स के रखरखाव हेतु भी जिम्मेदार होते हैं। वह इन लॉन्स का सामाजिक व धार्मिक अनुष्ठानों व कार्यक्रमों हेतु उपयोग के लिए रहवासियों के अनुरोध को बिना किसी प्रभार के विचार भी कर सकता है बशर्ते कि लॉन्स को हुए किसी भी नुकसान की भरपायी संबंधित पार्टी द्वारा उनके लागत पर संधारित की जाती हैं।

भूमि और विकास कार्यालय जो कि नजूल भूमि का प्रबंधन करना है, सरकारी कॉलोनियों में रिक्त भूमि के संबंध में अतिक्रमण को हटाने तथा तत्संबंधी नुकसान को सरकारी कर्मचारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति से वसूली इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जिसे उपरोक्त बिन्दु (i) एवं (ii) के अधीन उल्लेख किया गया है।

3. अवैध निवासियों का सर्वेक्षण:

प्रवर्तन अनुभाग से जुड़े प्रत्येक ओवरसियर द्वारा उनको आवंटित क्षेत्र में इस बात की जानकारी करने के लिए वर्ष में दो बार (सर्दी और बरसात के मौसम में) तेजी से सर्वेक्षण किया जाएगा कि क्या किसी सरकारी भूमि पर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, बागबानी निदेशक और सम्पदा कार्यालय के नियंत्रणाधीन भूमि को छोड़कर, को अवैध आवास तो नहीं बनाया गया है। जब सर्वेक्षण के दौरान किसी अवैध आवास की जानकारी मिलती है तो ओवरसियर अपने द्वारा रखरखाव किए गए एक रजिस्टर (जो क्षेत्र-वार बनाया जाएगा), जिसे "अवैध आवास रजिस्टर" के रूप में जाना जाएगा, में प्रत्येक अवैध आवास की जानकारी दर्ज करेगा।

क्र.सं.	अवैध निवासी का नाम	पिता का नाम	किसके क्षेत्र पर कब्जा किया गया है	क्या उसका उपयोग आवास के रूप में किया जा रहा है
1	2	3	4	5

पुराना है कब्जे का वर्ष अथवा _____	निरीक्षण की तारीख और ओवरसियर द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर	निष्कासन की तारीख विध्वंस रजिस्टर के क्रम संख्या सहित
6	7	8
		9

सर्वेक्षण समाप्त होने के बाद ओवरसियर निर्धारित फॉर्म में एक समेकित विवरण तैयार करेगा और अन्य आवश्यक विवरण सहित अवैध निवासियों के शिविरों को समाप्त करने वाली प्रस्तावित योजना भी तैयार करेगा और दिल्ली प्रशासन, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका समिति जैसी अन्य संबंधित अभिकरणों की सलाह से अवैध निवास को हटाने के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रवर्तन अनुभाग को भेजेगा।

अर्द्ध-वार्षिक सर्वेक्षण के अलावा, किसी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध आवास की जानकारी किसी द्वारा दी गयी सूचना के माध्यम से अथवा नियमित निरीक्षण के माध्यम से मिल सकती है। इसके बाद ओवरसियर अवैध आवास वाले क्षेत्र का तुरंत विस्तृत निरीक्षण करेगा, विशिष्ट फॉर्मेट में निरीक्षण रिपोर्ट भरेगा और उसे प्रवर्तन अनुभाग को भेजेगा।

ओवरसियर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रवर्तन अनुभाग इस बात का आदेश प्राप्त करेगा की क्या अतिक्रमण को सीधे पुलिस उपाधीक्षक (मोबाइल विध्वंस दस्ता) की मदद से हटा दिया जाय अथवा सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत अधिवासियों का हटाना) अधिनियम के अधीन कार्यवाही शुरू की जाए। यदि अतिक्रमण को सीधे हटाने का निर्णय लिया जाता है तो पुलिस उपाधीक्षक को पत्र लिखा जाएगा। तथापि, जहां उपरोक्त वर्णित किसी अभिकरण से संबंधित पास वाली भूमि पर भी अवैध निवास है, दिल्ली प्रशासन को क्षेत्र में संयुक्त तोड़क कार्रवाई की व्यवस्था करने का अनुरोध किया जाएगा।

पुलिस उपाधीक्षक (डी) को पत्र जारी करने के बाद ओवरसियर उसके कार्यालय में संपर्क करेगा और इसमें शामिल अन्य अभिकरणों, यदि को है, से सलाह करके ढांचे आदि को तोड़ने के लिए तारीख निर्धारित करेगा। संयुक्त कार्रवाई के लिए तोड़ने के समय और तारीख का निर्धारण दिल्ली प्रशासन करेगा। दोनों ही मामलों में संबंधित ओवरसियर कार्रवाई में भाग लेगा।

अनाधिकृत कब्जे को हटाने के बाद, ओवरसियर इस तथ्य की जानकारी प्रवर्तन अनुभाग के अधीक्षक को देगा।

प्रवर्तन अनुभाग द्वारा सभी प्रकार की तोड़क कार्रवाई संबंधी रिकॉर्ड संयुक्त कार्रवाई तथा अन्य प्रकार की कार्रवाई दोनों के लिए अलग-अलग निम्नलिखित फॉर्म में रखा जाएगा:-

- (i) संयुक्त विध्वंस कार्रवाई के रिकॉर्ड का रजिस्टर।
- (ii) अन्य प्रकार के विध्वंस का रिकॉर्ड।

संयुक्त विध्वंस कार्रवाई के रिकॉर्ड संबंधी रजिस्टर

क्र.सं. की संख्या	रजिस्टर क्रम संख्या	क्षेत्र स्थिति	की ढांचों संख्या	की परिवारों की संख्या	तोड़ने की तारीख	किस पर स्थानांतरित किया गया है	स्थान	किस उद्देश्य लिए भूमि की आवश्यकता थी
1	2	3	4	5	6	7	8	

अन्य विध्वंसों का रजिस्टर

क्रम संख्या	अवैध निवास रजिस्टर क्रम संख्या	स्थान	हटाये गए अवैध निवासियों की संख्या	तोड़ने की तारीख	टिप्पणी फाइल संख्या
1	2	3	4	5	6

4. सार्वजनिक परिसर अधिनियम के अधीन अवैध निवासियों को हटाने की प्रक्रिया:

ऐसे मामले में जहां सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत अधिवासियों का हटाना) अधिनियम, 1971 के अधीन कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया जाता है, संबंधित अनुभाग मामले की संक्षिप्त जानकारी और निर्धारित प्रोफॉर्मा पूर्ण करने के लिए आवश्यक जानकारी सहित संबंधित फाइल सम्पदा अधिकारी को भेजेगा।

सार्वजनिक परिसर अधिनियम के अधीन खाली करने संबंधी फाइल प्राप्त होने पर सम्पदा अधिकारी निर्धारित फॉर्मेट में अवैध निवासियों को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और पार्टी को नोटिस जारी करने की संख्या और तारीख तथा उसमें दर्ज सुनवाई की तारीख सहित संबंधित अनुभाग को फाइल वापस करेगा। यह नोटिस चार प्रतियों में तैयार किया जाएगा। तीन प्रतियां ओवरसियर को दी जाएंगी जो एक प्रति पार्टी को देगा, दूसरी प्रति परिसर में चिपकाएगा और तीसरी प्रति नोटिस सौंपने अथवा चिपकाने के विधिवत रिकॉर्ड सहित सम्पदा अधिकारी को वापस करेगा। यदि प्रतिवादी निर्धारित तारीख तक कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर देता है तो सम्पदा अधिकारी द्वारा उस पर विचार किया जाएगा। प्रतिवादी को गवाहों को बुलाने, आवश्यक और संबद्ध दस्तावेजों को मांगने की अनुमति दी जाएगी तथा विधि के अधीन अनुमन्य अपने मामले के बचाव में अन्य पर्याप्त अवसर दिये जाएंगे।

यदि प्रतिवादी अपनी सफाई स्वयं प्रस्तुत करता है तो संबंधित ओवरसियर सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा और यदि प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कोई वकील करता है तो ऐसे मामले में विधि अधिकारी प्रतिनिधित्व करेगा।

यदि दोनों पक्षों को सुनने और प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच करने के बाद सम्पदा अधिकारी का यह मानना है कि प्रतिवादी ने सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है तो वह उसे खाली करने संबंधी आदेश पारित करेगा और जिसकी सूचना निर्धारित फॉर्मेट में प्रतिवादी को दी जाएगी, जिसमें उसे परिसर खाली करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। प्रतिवादी इस प्रकार का आदेश मिलने के 15 दिनों के भीतर जिला न्यायाधीश के समक्ष इस प्रकार के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है।

यदि प्रतिवादी न ही तो कोई अपील दायर करता है अथवा किसी सक्षम न्यायालय से कोई स्थगन आदेश प्राप्त करता है और न ही निर्धारित समय सीमा के भीतर परिसर को खाली करता है, सम्पदा अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक, मोबाइल विध्वंस दस्ते की सहायता से उस व्यक्ति से बलपूर्वक परिसर खाली करने के आदेश जारी करेगा। इस प्रकार के आदेश की प्रति प्राप्त होने पर संबंधित ओवरसियर ऊपर बताए गए ढंग से अतिक्रमण को हटाने की व्यवस्था करेगा।

5. क्षति का दावा:

इस प्रकार के ऐसे मामले में जहां पर अनाधिकृत कब्जे की अवधि के लिए अवैध निवासी से जुर्माना वसूल किया जाना है, ओवरसियर जुर्माने की गणना करेगा, एक

अनुसूची में भरेगा और मामले का एक संक्षिप्त विवरण तैयार करेगा और प्रवर्तन अनुभाग के माध्यम से मामले को सम्पदा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

यदि सम्पदा अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि जुर्माने को वसूल किया जा सकता है, वह एक निर्धारित फॉर्मेट में अवैध निवासी को एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। यदि प्रतिवादी कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत करता है तो उस पर विचार किया जाएगा। उसे व्यक्तिगत रूप से अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। उसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने और अपने प्रत्युत्तर के समर्थन में गवाह को बुलाने की अनुमति दी जाएगी। सरकार का प्रतिनिधित्व संबंधित ओवरसियर अथवा विधि अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि अन्य पक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है अथवा किसी अधिवक्ता के माध्यम से मामले की पैरवी करता है।

यदि दोनों पक्षों को सुनने के बाद सम्पदा अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि क्षतिपूर्ति अथवा अन्य प्रभार प्रतिवादी से वसूल किए जाने हैं, वह इस आशय का आदेश पारित करेगा और प्रतिवादी को देय राशि एकमुश्त अथवा ऐसी मासिक किस्तों में, जैसा कि वह (सम्पदा अधिकारी) मामले के गुण-दोष के आधार पर प्रदान करना उचित समझता है, भुगतान करने के आदेश जारी करेगा।

यदि प्रतिवादी आदेशानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करता है तो सम्पदा अधिकारी भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली करने और वसूल की गयी राशि को सरकारी खाते में जमा कराने के लिए दिल्ली के कलेक्टर को पत्र लिखेगा। कलेक्टर से किए गए इस प्रकार के सभी निवेदन पर पूरी वसूली हो जाने तक लगातार कार्रवाई की जाएगी।

जहां पर अवैध निवासी सम्पदा अधिकारी के आदेश के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील दायर करता है और स्थगन आदेश ले आता है तो क्षतिपूर्ति राशि की वसूली जिला न्यायालय द्वारा अपील पर निर्णय लिए जाने तक स्थगित रखी जाएगी। क्षतिपूर्ति राशि की वसूली उस न्यायालय के निर्णय के अनुसार की जाएगी, न्यायालय का आदेश दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

जहां पर जिला न्यायाधीश मामले को सम्पदा अधिकारी को वापस भेजता है तो सम्पदा अधिकारी वापस भेजे गए आदेश में उल्लिखित अनुसार मामले पर पुनर्विचार करेगा और उन मुद्दों पर पुनः निर्णय लेगा। इस बात को ध्यान में रखे बगैर कि क्षतिपूर्ति

राशि वही रहती है अथवा नहीं, क्षतिपूर्ति राशि की वसूली के लिए एक नवीनतम आदेश जारी किया जाएगा। साथ ही साथ क्षतिपूर्ति राशि की वसूली के लिए पूर्व में जारी आदेश निरस्त हो जाएंगे। इस प्रकार के आदेशों की प्रतियां आवश्यक रूप से राजस्व और लेखा अनुभाग तथा प्रवर्तन अनुभाग को प्रष्ठांकित की जाएंगी।

6. क्षतिपूर्ति राशि की वसूली पद्धति:

क्षतिपूर्ति राशि की वसूली अधिकतर नकदी के रूप में की जाएगी। जब भी कोई व्यक्ति नकद भुगतान करना चाहता है तो सम्पदा अधिकारी से संबद्ध क्लर्क कार्यवाही फाइल में इसकी पुष्टि करेगा और उसे केशियर को भेजेगा, जो राशि प्राप्त करेगा और उस व्यक्ति का रसीद जारी करेगा। केशियर वसूल की गयी राशि और भुगतान करने वाले को जारी की गयी रसीद संख्या तथा तारीख को सम्पदा अधिकारी की फाइल में भी दर्ज करेगा। भुगतान करने के बाद केशियर समुचित फॉर्म में तुरंत एक चालान तैयार करेगा और राशि को विशिष्ट लेखा शीर्ष के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करेगा।

7. क्षतिपूर्ति राशि का रजिस्टर:

प्रवर्तन अनुभाग सार्वजनिक परिसर अतिक्रमण अधिनियम के अधीन वसूल की गयी सभी क्षतिपूर्ति राशि का एक रिकॉर्ड रखेगा। इस प्रकार का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाएगा।

जैसे ही ओवरसियर अवैध निवासी से क्षतिपूर्ति राशि की वसूली के लिए मामले का संक्षिप्त विवरण सम्पदा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार करता है तो प्रवर्तन अनुभाग में उक्त कार्य को देखने वाला व्यक्ति क्षतिपूर्ति रजिस्टर के कॉलम 01 से 10 तक में दावा राशि की प्रविष्टि करेगा। अवैध निवासी को क्षतिपूर्ति राशि जमा करने संबंधी सम्पदा अधिकारी के आदेश की प्रति प्राप्त होने पर रजिस्टर के 11 से लेकर 13 तक के कॉलम को पूरा किया जाएगा। सम्पदा अधिकारी से संबद्ध क्लर्क सम्पदा अधिकारी के आदेशों के अनुपालन में दिन प्रतिदिन प्राप्त राशि का रिकॉर्ड रखेगा और इस प्रकार के प्राप्ति का विवरण प्रत्येक सोमवार को प्रवर्तन अनुभाग को भेजा जाएगा। सम्पदा अधिकारी के क्लर्क से वसूल की गयी राशि की सूचना प्राप्त होने पर प्रवर्तन अनुभाग रजिस्टर का कॉलम 14 पूर्ण करेगा। प्रवर्तन अनुभाग का अधीक्षक रजिस्टर के कॉलम 15 में अपने हस्ताक्षर करते हुए कॉलम 14 में की गई प्रविष्टि को

अनुप्रमाणित करेगा और लेखा अनुभाग को भी सूचित करेगा। प्रत्येक वर्ष के लिए अलग रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा और सम्पदा अधिकारी द्वारा एक वर्ष के दौरान जारी आदेशों, इस बात का ध्यान रखे बगैर कि वसूली उसी वर्ष में की गयी है अथवा बाद में वर्ष में, की प्रविष्टि उसी रजिस्टर में की जाएगी।

8. अवैध निवासियों के प्रकार और उनसे क्षतिपूर्ति राशि की वसूली की पद्धति:

अवैध निवासियों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में बांटा गया है:-

- (क) आवासीय अवैध निवासी।
- (ख) अवैध निवासी जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं अर्थात जो मौहल्ले में अवैध निवासियों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किराने का सामान और विविध वस्तुएं बेचने के लिए छोटी-छोटी दुकाने चला रहे हैं। ऐसे डेरी वाले, जिनके पास दो से अधिक जानवर नहीं हैं, भी इस श्रेणी में शामिल हैं।
- (ग) वाणिज्यिक अवैध निवासी जो बड़ी मात्रा में व्यापार करते हैं जैसे कि दुकानदार, केबिनेट निर्माता, कार्यशालाओं के मालिक, ईंधन डिपो धारक और ऐसी डेरी वाले, जिनके पास दो से अधिक पशु हैं आदि।
- (घ) धार्मिक स्थल के रूप में अवैध निवास।

क्षतिपूर्ति राशि की वसूली निम्नलिखित ढंग से की जाती है:-

- (क) 14 जनवरी, 1996 तक की अवधि।
 - (i) जुलाई, 1960 से पहले से अवैध निवासियों से किसी भी क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं की जाएगी, जो झुग्गी और झोपड़ी निष्कासन योजना के अधीन शामिल थे और जिनका मामला श्रेणी (क) और (ख) के अधीन आता है।
 - (ii) जुलाई, 1960 से पहले के वाणिज्यिक अवैध निवासियों से क्षतिपूर्ति, जिनके मामले श्रेणी (ग) के अधीन आते हैं, 01 जनवरी, 1959 से अथवा कब्जे की तारीख से, जो भी बाद में हो, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार्य दरों के समान वसूली की जाएगी।
 - (iii) जुलाई, 1960 के बाद के अवैध निवासियों से क्षतिपूर्ति समय-समय पर निर्धारित दरों पर वसूल की जाएगी।

(ख) 14 जनवरी, 1966 से बाद की अवधि।

- (i) जुलाई, 1960 से पहले के अवैध निवासियों (आवासीय अथवा वाणिज्यिक) से, जो 50 वर्ग गज तक सरकारी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, क्षतिपूर्ति राशि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर स्वीकार्य दरों से वसूल की जाएगी।
- (ii) जुलाई, 1960 से पहले के अवैध निवासियों से, जो 50 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल की सरकारी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, क्षतिपूर्ति राशि की वसूली अस्थायी आवंटन अथवा समुचित उद्देश्य के लिए भूमि हेतु समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों से कम दरों पर नहीं की जाएगी।

9. धार्मिक उद्देश्य के लिए अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई करने हेतु विशेष अनुदेश;

जैसी ही किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए अतिक्रमण की जानकारी मिलती है तो पवित्र स्थान को हटाने के लिए अनुमोदन हेतु एक नोट उप-राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किया जाएगा। उप-राज्यपाल महोदय द्वारा अपना अनुमोदन दे देने के बाद मामले में आगे की कार्यवाही करने के लिए फाइल को शहरी विकास मंत्रालय को दिखाया जाएगा। उन दोनों (उप-राज्यपाल और मंत्रालय) का अनुमोदन दे देने के बाद ऊपर बताए गए अनुसार अतिक्रमण को हटाने के लिए सार्वजनिक परिसर अतिक्रमण अधिनियम के अधीन कार्रवाई शुरू की जाएगी। सम्पदा अधिकारी द्वारा अनाधिकृत धार्मिक स्थल को खाली कराने के आदेश पारित कर देने के बाद और पार्टी ने कोई अपील दायर नहीं की है अथवा निर्णय का आदेश से 30 दिनों के भीतर परिसर को खाली नहीं करता है, सम्पदा अधिकारी द्वारा क्षेत्र के ओवरसियर प्रभारी को आवश्यक पुलिस संरक्षण देने और आदेश के अनुपालन के लिए इस प्रकार के बल का प्रयोग करने के लिए भी पुलिस उपाधीक्षक को अधिकृत करने की आवश्यकता होगी। जहां पर पुलिस उपाधीक्षक (डी) ने सामान्य दौर में इस प्रकार के अनाधिकृत पवित्र स्थल को हटाने का आदेश नहीं दिया है और इस प्रकार की स्थिति में इलाका मजिस्ट्रेट के माध्यम से अनाधिकृत पवित्र स्थल को हटाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने हेतु उपायुक्त से एक औपचारिक निवेदन किया जाएगा। पत्र की एक प्रति अग्रिम सूचना के लिए इलाका मजिस्ट्रेट को भी भेजी जाएगी। उपायुक्त द्वारा मामले में आदेश पारित कर देने के बाद संबंधित ओवरसियर पवित्र स्थल को हटाने के लिए समय और तारीख निर्धारित करने के लिए इलाका मजिस्ट्रेट से संपर्क करेगा। अतिक्रमण हटा देने के बाद ओवरसियर अन्य मामलों की तरह प्रवर्तन अनुभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।